20रु. Rs.20 COURT FEE भारत INDIA बीस रुपये TWENTY RUPEES

10रु. Rs.10 COURT FEE भारत INDIA दस रुपये TEN RUPEES

1

272

न्यायालय राजस्व मण्डल म.प्र. ग्वालियर

III/निगरानी/अनूपपुर/भू.रा./2017/3373

प्र.कं. /2017 पुनरीक्षण

श्रीमती कमलेश परस्ते पत्नी हरीलाल परस्ते निवासी सामतपुर (अनूपपुर) तहसील व जिला अनूपपुर (म.प्र.)

.... आवेदिका

मुकेश भार्गव एडवोकेट 15-9-17

15-9-17

विरूद्ध

1. तीरथ राठौर पुत्र गोविंद राठौर
2. नत्थूलाल पुत्र अयोध्या राठौर
3. छबीलाल पुत्र अधारी राठौर

समस्त निवासीगण ग्राम सेंदुरी तह. व जिला अनूपपुर (म.प्र.)

.... अनावेदकगण

मुकेश भार्गव 15-9-17 एडवोकेट ग्वालियर

CR 28.9.17

<u>न्यायालय अपर कलेक्टर अनूपपुर जिला अनूपपुर (म.प्र.) द्वारा मामला क्रमांक 4/अपील/15–16 में पारित आदेश दिनांक 26.07.2017 के विरूद्ध म.प्र. भू. राजस्व संहिता 1959 की धारा 50 के अंतर्गत पुनरीक्षण।</u>

माननीय महोदय,

आवेदक का निम्नानुसार निवेदन है कि :–

1– यह कि, अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित आदेश अवैध अनुचित तथा विधि के उपबंधों के प्रतिकूल होने से प्रथम दृष्टया ही निरस्त योग्य है।

2– यह कि, वाद भूमि ख.नं. 1119 रकवा 0.56ए. (0.227 है.) भूमि के पूर्व भूमिस्वामी मुस. झलुलिया, गुलाब प्रसाद व गेंदलाल पनिका से आवेदक ने रजिस्टर्ड विक्रय पत्र दिनांक 4.6.10 से क्रय कर कब्जा प्राप्त किया है। बाद

न्यायालय राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश-ग्वालियर

अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ

प्रकरण क्रमांक तीन/निगरानी/अनूपपुर/भू.रा./2017/3373 कमलेश विरूद्ध तीरथ

स्थान तथा दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर
16-01-2019	1. प्रकरण प्रस्तुत । 2. आवेदक की ओर से कोई उपस्थित नहीं । आवेदक के द्वारा अपर कलेक्टर अनूपपुर के प्रकरण क्रमांक 4/अपील/2015-16 में पारित आदेश दिनांक 26-07-2017 के विरूद्ध म.प्र. भू-राजस्व संहिता 1959 की धारा 50 के अधीन दिनांक 15-09-2017 को पुनरीक्षण याचिका प्रस्तुत की गई थी। 3. म.प्र. भू-राजस्व संहिता संशोधन अधिनियम 2018 का क्रियान्वयन राज्य सरकार की अधिसूचना क्रमांक एफ 2-9/2018/सात/शा.6 भोपाल दिनांक 16-08-2018 के अनुक्रम में दिनांक 25-09-2018 से लागू हो गया है । उक्त अधिसूचना की धारा 54 के अनुसार – ''1. संशोधन अधिनियम 2018 के प्रवत्त होने के ठीक पूर्व पुनरीक्षण में लंबित कार्यवाहियां यथासंशोधित अधिनियम 2018 की धारा 50(1)(ख) एवं 54(क) के अधीन उन्हें सुने जाने तथा विनिश्चित किये जाने के लिये सक्षम राजस्व अधिकारी द्वारा सुनी जायेगी तथा विनिश्चित की जायेगी, और यदि इस प्रयोजन के लिये अपेक्षित हो तो ऐसे राजस्व अधिकारी को अंतरित की जायेगी।'' 4. अपर कलेक्टर के द्वारा पारित आदेश के विरूद्ध म.प्र. भू-राजस्व संहिता की धारा 50(1)(ख) एवं 54(क) के अंतर्गत पुनरीक्षण हेतु सक्षम राजस्व अधिकारी संबंधित संभागीय आयुक्त है । अत: उक्त संशोधन के फलस्वरूप इस न्यायालय में प्रस्तुत पुनरीक्षण आवेदन पर आयुक्त शहडोल संभाग शहडोल के द्वारा ही पुनरीक्षण याचिका का निराकरण किया जाना होगा । 5. अत: उक्त नवीन संशोधन के अनुक्रम में पुनरीक्षण याचिका	

के निराकरण हेतु प्रकरण आयुक्त शहडोल संभाग शहडोल को अंतरित किया जाता है । आवेदक दिनांक 18-03-2019 को इस आदेश की सत्यप्रतिलिपि लेकर आयुक्त शहडोल संभाग शहडोल के न्यायालय में प्रस्तुत हो ।

6. कार्यालय का दायित्व होगा कि उक्त दिनांक से पूर्व संबंधित अभिलेख आयुक्त शहडोल संभाग शहडोल के न्यायालय में भेज जाये ।

7. उभय पक्ष अभिभाषक को नोट कराया जाये ।

(आर.के. जैन) 16.01.19
सदस्य